एकमुश्त समझौता स्कीम

1. कवरेज

i. एकमुश्त समझौता स्कीम उन यूनिटों पर लागू हैं जिन्हें विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दिसम्बर, 2005 तक वित्तपोषित किया गया था। यह एकमुश्त समझौता स्कीम बैंक गारंटी के बदले कच्चा माल सहायता के अन्तर्गत वित्त पोषित मामलों में लागू नहीं होगी।

ii. जानबूझकर किए गए डिफाल्ट, धोखाधडी एवं कानूनी अधिकार के दुरूपयोग के मामले इसमें शामिल नहीं हैं।

2. आवेदन प्राप्ति/कार्रवाई के लिए समयावधि

i. यह स्कीम डिफाल्टिंग यूनिटों के लिए तत्काल प्रभाव से उपलब्ध है।

ii. इस स्कीम के अन्तर्गत कार्रवाई, आवेदन प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ की जाएगी तथा आवेदन डीआरसी को उसके निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी आवेदन प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर डीआरसी बैठकों में अवश्य प्रस्तुत किए जाएं।

3. समझौता फार्मूला - राशि

एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी :-

क किराया खरीद (हायर परचेज) एवं उपस्कर लीजिंग स्कीमों के मामले में, किस्तों, बीमा जब्ती प्रभार, विधिक खर्चे तथा किसी अन्य विविध डेबिट के बकाए का 100%।

ख उपस्कर लीजिंग स्कीम के मामले में अन्तरण लागत व उस पर लागू बिक्री कर भी वसूल किया जाएगा।

ग कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण एवं आंतरिक विपणन स्कीमों (जहां वित्तीय सहायता दी गयी है) के लिए मूलधन, ब्याज,(पीनल ब्याज को छोडकर) विधिक चार्जेज, सर्विस चार्जेज तथा किसी अन्य विविध डेबिट के बकाए का 100%।

4. भुगतान

i. समझौता राशि का भुगतान वरीय रूप से एक मुश्त में किया जाएगा।

ii. उन मामलों में जहां उधारकर्ता पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे समझौता राशि का कम से कम 25% भुगतान उसी समय व शेष 75% का भुगतान एचओ डीआरसी/सीडीआरसी द्वारा मौजूदा उधारी दरों के आधार पर निर्धारित की गयी ब्याज के साथ एक वर्ष की अवधि के अन्दर किश्तों में करना होगा।

5. मंजूरीदाता प्राधिकारी

एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत राइट ऑफ करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियां निम्नलिखित सारणी में दी गयी हैं :-

क्रम सं	प्रत्यायोजन	राशि (रूपयों में)
1	ब्रांच डीआरसी की सिफारिश पर मुख्य महाप्रबंधक/ जोनल महाप्रबंधक	1,00000
2	जोनल डीआरसी की सिफारिश पर एचओडीआरसी	3,00000
3	जोनल डीआरसी/एचओ डीआरसी की सिफारिश पर कॉरपोरेट डीआरसी	5,00000
4	एचओडीआरसी/सीडीआरसी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7,50000
5	बट्टे खाते में डालने (राइट ऑफ)के लिए बोर्ड की उप-समिति	7,50,000 से अधिक

6. अन्य शर्तें

6.1 निगम को इन प्रस्तावों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी यूनिट /पार्टी इस स्कीम के तहत समझौते के लिए अपने प्रस्ताव को अधिकार के रूप में स्वीकार कराने का दावा नहीं कर सकती है।

6.2 समझौता राशि के भुगतान न करने तथा समझौते की अन्य शर्तों का पालन करने के मामले में दी गयी राहत व रियायतें वापस लेने और भावी ब्याज सहित समझौता पूर्व राशि लेने का निगम का अधिकार सुरक्षित है।

6.3 ऐसे मामलों, जहां सतर्कता/सीबीआई जांच चल रही है, से संबंधित समझौता प्रस्तावों पर एचओडीआरसी/सीडीआरसी/मुख्य सतर्कता अधिकारी की सिफारिश पर केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ही विचार किया जाएगा।

6.4 किसी खाते का निपटारा करने की सिफारिश /अनुमोदन करते समय शाखा/ जोनल प्रमुख द्वारा स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और इसका स्पष्ट उल्लेख सिफारिशों में किया जाए।

6.5 ऐसे मामले जिनके बकाया में पीनल ब्याज उंचत खाते की प्राथमिक राशि पडी हुई है।

उन सभी मामलों को जहां " पीनल ब्याज उंचत खाते" की प्राथमिक राशि पडी हुई है, एकमुश्त समझौता स्कीम की परिधि से बाहर रखा जाएगा। ऐसे खातों का निपटारा उपलब्ध जमानत तथा ऐसे खातों में वसूली से संबंधित दूसरे पहलुओं के आधार पर डिफाल्ट रिव्यू कमेटी/ कमेटियों द्वारा अलग से किया जाएगा। ऐसे मामलों में निर्णय एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत प्रत्ययोजित शक्तियों से भिन्न प्राधिकारियों को पहले से दी गयी बट्टा खाते की सामान्य प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार ही किए जाएंगे।

6.6 एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत न आने वाले मामलों का निपटारा

यदि डिफाल्ट के मामलों में यूनिटों द्वारा ऑफर की गयी निपटारा राशि एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत नहीं आती है, तो ऐसे मामलों में दूसरे माध्यमों जैसे कि कानूनी कार्रवाई या जमानत की जब्ती आदि के माध्यम से वसूली की संभावनाओं का पता लगाया जाए। ऐसे मामलों में एकमुश्त समझौता स्कीम के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रत्यायोजन लागू नहीं होगा और इसके बजाए ऐसे मामलों पर केवल विभिन्न प्राधिकारियों को पहले से दी गयी बट्टा खाते में डालने की सामान्य प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।